न्यायालय प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश, सीतापुर।

उपस्थितः श्री आदर्श कुमार सिंह कनौजिया, एच.जे.एस.
दाण्डिक पुनरीक्षण संख्या–02 सन् 2018
CNR-UPSI010002292018

1– अवधेश } पुत्रगण
2– उपेन्द्र } छोटे लाल
3– श्रीमती किरन पुत्री छोटे लाल पत्नी मनोज कुमार सर्व निवासीगण ग्राम व पोस्ट नकहा थाना खीरी जिला लखीमपुर–खीरी।
......निगरानीकर्तागण/अभियुक्तगण

बनाम

1– सरकार उत्तर प्रदेश।
2– मनोज कुमार पुत्र रामदर्ष नि0 ग्राम दौली थाना महोली जिला सीतापुर। ....विपक्षीगण।

निर्णय

प्रस्तुत दाण्डिक पुनरीक्षण पुनरीक्षणकर्तागण/अभियुक्तगण द्वारा परिवाद संख्या 2567/2016 मनोज कुमार बनाम अवधेश आदि धारा 323,504,506 भा.दं.सं. थाना कोतवाली सीतापुर जिला सीतापुर के मामले में विद्वान अवर न्यायालय मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, सीतापुर द्वारा पारित तलबी आदेश दिनॉकित 09.10.2017 के विरूद्ध संस्थित किया गया है।

2. संक्षेप में मामले के तथ्य इस प्रकार हैं कि विपक्षी सं. 2 मनोज कुमार ने निगरानीकर्तागण/अभियुक्तगण के विरूद्ध विद्वान अवर न्यायालय के समक्ष परिवाद अन्तर्गत धारा 323,504,506 भा0दं0सं0 इस आशय से दिनॉक 23.08.2016 को प्रस्तुत किया कि ''प्रार्थी की पत्नी का नाम किरन है जो कुछ समय से अपने मायके में रह रही है। प्रार्थी ने कई बार प्रयास किया पर वह वापस नहीं आई। अवधेश व उपेन्द्र किरन के भाई हैं। प्रार्थी ने मजबूर होकर एक बिदाई का दावा किया और उसकी जानकारी विपक्षीगण को हो गई। प्रार्थी की बिदाई की पेशी दिनॉक 01.08.2016 को थी जिसमें वह आया था। तारीख लेने के बाद प्रार्थी अपने मामा लक्ष्मीकान्त, महेन्द्र व सुरेन्द्र के साथ वापस जा रहा था तभी रोडवेज बस स्टैण्ड के पास तीनों विपक्षीगण मिल गये और मुकदमे के बारे में बात होने लगी। अवधेश व उपेन्द्र ने प्रार्थी को मुकदमा वापस लेने की धमकी दी और वापस न लेने पर अंजाम भुगतने की बात कही और अवधेश व उपेन्द्र गालियॉ देते हुए मार पीट करने लगे। किरन चप्पल उतार कर मारने लगी। प्रार्थी के साथी अरविन्द, लक्ष्मीकान्त व सुरेन्द्र ने बचाया तब सभी विपक्षीगण जान माल की धमकी देते हुए चले गए। प्रार्थी रोडवेज चौकी गया वहॉ से कोतवाली जाकर प्रार्थना पत्र दिया परन्तु कुछ नहीं हुआ तब तीन–चार दिन बाद एक दस्ती प्रार्थना पत्र पुलिस कप्तान को

दिया परन्तु आज तक कुछ नहीं हुआ।''

3. परिवादी मनोज कुमार ने विद्वान अवर न्यायालय के समक्ष स्वयं को धारा 200 दं.प्र.सं. के अन्तर्गत एवं सुरेन्द्र कुमार तथा अरविन्द कुमार को धारा 202 दं.प्र.सं. के अन्तर्गत शपथ पर परीक्षित कराया ।

4. विद्वान अवर न्यायालय ने पत्रावली पर उपलब्ध सम्पूर्ण साक्ष्य का अवलोकन करने के उपरान्त यह निष्कर्ष दिया कि विपक्षीगण अवधेश, उपेन्द्र तथा किरन के विरूद्ध धारा 323,504,506 भा0दं0सं0 का प्रथम दृष्ट्या अपराध गठित होना पाया जाता है। उपरोक्त निष्कर्षो के आधार पर विद्वान अवर न्यायालय ने अवधेश, उपेन्द्र तथा किरन को धारा 323,504,506 भा.दं.सं. के अन्तर्गत विचारण हेतु जरिये समन तलब किया।

5. विद्वान अवर न्यायालय द्वारा पारित तलबी आदेश दिनॉकित 09.10.2017 से क्षुब्ध होकर निगरानीकर्तागण/अभियुक्तगण ने यह कहते हुए प्रस्तुत निगरानी संस्थित की कि प्रार्थी सं.–1 व 2 श्रीमती किरन के सगे भाई हैं और प्रार्थिनी नं0 3 किरन का विवाह मनोज कुमार विपक्षी सं02 के साथ हुआ था। मनोज कुमार ने व उसके घर वालों ने श्रीमती किरन को जून 2013 में लात घूँसों से मार पीटकर केवल पहने कपड़ों में निकाल दिया था। श्रीमती किरन ने धारा 125 दं0प्र0सं0 का मुकदमा मनोज कुमार विपक्षी सं0 2 के विरूद्ध लखीमपुर में दायर किया जिसमें मनोज कुमार ने हाजिर होकर अपना जवाब दाखिल किया और उसके बाद विपक्षी सं0 2 गैर हाजिर हो गया और उसके विरूद्ध एक पक्षीय निर्णीत हो गया। विपक्षी सं02 ने जो परिवाद दाखिल किया है वह काफी भीड़ वाली जगह का है इसलिये झगड़े का कोई कारण नहीं है। परिवादी ने धारा 200 दं0प्र0 सं0 के बयानों में घटना के समय का उल्लेख नहीं किया है। धारा 202 दं0प्र0सं0 के अन्तर्गत परीक्षित गवाहान रिश्तेदार हैं। मारपीट की कोई डाक्टरी नहीं कराई गई है। विपक्षी सं0 2 द्वारा गुजारा भत्ता अदा न करने की वजह से फर्जी घटना बनाकर प्रार्थीगण को फर्जी फॅसाया गया है। विद्वान अवर न्यायालय का आदेश विधि एवं तथ्यों के विरूद्ध है। अतः उपरोक्त तथ्यों के आधार पर निगरानी स्वीकार करते हुये विद्वान अवर न्यायालय द्वारा पारित प्रश्नगत तलबी आदेश दिनॉकित 09.10.2017 निरस्त किया जाय।

6. पुनरीक्षणकर्तागण/अभियुक्तगण की ओर से बहस करने कोई उपस्थित नहीं हुआ। मैंने विद्वान सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता (फौजदारी) एवं विपक्षी सं0 2 मनोज कुमार के विद्वान अधिवक्ता की बहस सुनी तथा पत्रावली का अवलोकन किया।

7. विद्वान अवर न्यायालय की पत्रावली पर उपलब्ध परिवाद पत्र में

उल्लिखित तथ्यों का अवलोकन करने से यह स्पष्ट है कि परिवादी ने परिवाद सॅख्या 2567/2016 निगरानीकर्तागण/अभियुक्तगण के विरूद्ध इस आशय से संस्थित किया है कि दिनॉक 01.08.2016 को रोडवेज बस स्टैण्ड के पास निगरानीकर्तागण/अभियुक्तगण ने परिवादी से मुकदमा वापस लेने की धमकी दी और अवधेश व उपेन्द्र ने गालियॉ देते हुये मार पीट की, किरन ने चप्पलों से मारा पीटा। तब प्रार्थी के साथी अरविन्द, लक्ष्मीकान्त, सुरेन्द्र ने उसे बचाया। निगरानीकर्तागण/अभियुक्तगण जान माल की धमकी देते हुये चले गए। परिवाद पत्र में उल्लिखित तथ्यों का समर्थन परिवादी मनोज कुमार ने धारा 200 दं.प्र.सं. के बयानों में तथा परिवादी के गवाहान सुरेन्द्र एवं अरविन्द ने धारा 202 दं0प्र0सं0 के बयानों में किया है।

8. **2012 (3) जे0आई0सी0 पृष्ठ 772 (सुप्रीम कोर्ट) अमित कपूर बनाम रमेश चन्दर तथा अन्य** के मामले में माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने यह विधि व्यवस्था दी है कि :–

पुनरीक्षण न्यायालय का क्षेत्राधिकार एक सीमित क्षेत्राधिकार है और इसका प्रयोग नैत्यिक तरीके से नहीं किया जाना चाहिए। न्यायालय को पुनरीक्षण क्षेत्राधिकार का प्रयोग उन परिस्थितियों एवं मामलों में करना चाहिए जहॉं पर :–

1. जिस निर्णय/आदेश को चुनौती दी गयी है, वह बिल्कुल गलत है,
2. विद्वान अवर न्यायालय द्वारा विधिक प्राविधानों का पालन नहीं किया गया है और,
3. बिना किसी साक्ष्य के निष्कर्ष दिये गये हैं,
4. तात्विक साक्ष्य को अनदेखा किया गया है तथा
5. न्यायिक विवेकाधिकार का प्रयोग मनमानें तरीके से या तर्को के विरूद्ध किया गया है।

विद्वान अवर न्यायालय की पत्रावली पर उपलब्ध सम्पूर्ण साक्ष्य का अवलोकन करने से यह स्पष्ट है कि विद्वान अवर न्यायालय ने प्रश्नगत आदेश दिनॉकित 09.10.2017 को पारित करने में न तो कोई तथ्यात्मक त्रुटि की है और न ही विधिक त्रुटि की है। विद्वान अवर न्यायालय ने अपने में निहित क्षेत्राधिकार का प्रयोग करते हुए प्रश्नगत आदेश दिनॉकित 09.10.2017 पारित किया है, जिसमें हस्तक्षेप करने का न्यायालय कोई न्यायोचित आधार नहीं पाता है।

उपरोक्त विश्लेषण के आधार पर न्यायालय निगरानीकर्तागण/अभियुक्तगण द्वारा प्रस्तुत निगरानी में कोई बल न पाते हुए उसे खारिज होने योग्य पाता है।

आदेश

पुनरीक्षणकर्तागण/अभियुक्तगण अवधेश आदि द्वारा प्रस्तुत दाण्डिक पुनरीक्षण खारिज करते हुए विद्वान अवर न्यायालय मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वारा परिवाद सं0 2567/2016 मनोज कुमार बनाम अवधेश आदि धारा 323,504,506 भा.दं.सं. थाना कोतवाली जिला सीतापुर के मामले में पारित तलबी आदेश दिनॉकित 09.10.2017 पुष्ट किया जाता है।

विद्वान अवर न्यायालय की पत्रावली निर्णय एवं आदेश की प्रति के साथ विद्वान अवर न्यायालय को वापस भेजी जाय। पुनरीक्षणकर्तागण/ अभियुक्तगण अग्रिम कार्यवाही हेतु विद्वान अवर न्यायालय के समक्ष दिनॉक 13.11.2018 को उपस्थित हों।

दिनाँक–31.10.2018

(आदर्श कुमार सिंह कनौजिया)
प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश,
सीतापुर।

उपरोक्त निर्णय एवं आदेश आज मेरे द्वारा हस्ताक्षरित एवं दिनाँकित करके खुले न्यायालय में उद्घोषित किया गया।

दिनाँक–31.10.2018

(आदर्श कुमार सिंह कनौजिया)
प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश,
सीतापुर।

समीउद्दीन/